9/25

SCMS 2025/393 तहसीलदार बनाम सरकार [redacted]

204/25

फर्द अहकाम
(नियम–26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी — कनवास — **मुकाम कैम्प** ————————

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता

मुकदमा नं. /2025

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
03/09/25	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प 3 (2) राज–6/2003 / पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार — कनवास — के पत्रांक राजस्व/2021/ दिनांक / /2021 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम — डोरी — ग्राम पंचायत — डोरी — पटवार मण्डल — डोरी — भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त — कुराड — तहसील — कनवास — में प्रचलित रास्ते का राजस्व रेकर्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता — ग्राम डोरी व चौमा तथा कुराड व डोरी — से ———— तक जाता है। रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। इस रास्ते की चौडाई — मीटर है। यह रास्ता ग्राम — डोरी — की भूमि खसरा नम्बर — 59, 210, 214, 1694, 215, 202, 205 — में से होर गुजरता है। यह रास्ता उक्त खसरा नम्बरों में मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है। रास्ते की चौडाई — मीटर है। ग्राम पंचायत ————की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सलग्न है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही (डोटेड लाईन) से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारहमासी प्रचलित है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलता नहीं है ओर आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है। राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड ओर ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार के अनुसार तहसीलदार — कनवास — के द्वारा अभिशंसित सलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारन की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को	

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम ढोरी ग्रामपंचायत ढोरी पटवार मण्डल ढोरी भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुसार तहसील कनवास की भूमि खसरा नम्बर 59 में से 0.0172 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 में से 0.5081 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 में से 0.5263 हैक्टर, खसरा नम्बर 184/215 में से 0.1472 हैक्टर, खसरा नम्बर 202 में से 0.5146 हैक्टर, खसरा नम्बर 205 में से 0.0759 हैक्टर, खसरा नम्बर —— में से ——हैक्टर भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये रास्ते कें रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे, एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार कनवास द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कनवास को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा